1. Consideration of any item of Government Business carried over from today's Order Paper.
2. Consideration and passing of the following Bills
   (i) The Institute of Technology (Amendment) Bill, 2011, as passed by Lok Sabha;
   (ii) The National Institute of Technology (Amendment) Bill, 2011, as passed by Lok Sabha; and
   (iii) The Marriage Laws (Amendment) Bill, 2010.
3. Discussion on the working of following Ministries:
   (a) Defence;
   (b) Civil Aviation; and
   (c) Coal.

MATTERS RAISED WITH PERMISSION

Ill-treatment meted out to the body of Late Shri B.B. Tiwari by the Delhi Police and the Hospital Authorities

श्री मोहन सिंह (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं एक बहूत ही गम्भीर प्रश्न इस सदन के माध्यम से सरकार के सामने उठाना चाहता हूं। आदरणीय स्वर्गीय श्री बृज भूषण तिवारी, जिनको इस पूरे सदन ने सम्मान और आदर के साथ श्रद्धांजलि दी, वे 24 तारीख की रात में शालीमार बाग स्थित अपने छोटे-से फलैट में गये, जहां एकाएक उनको हार्ट अटैक हुआ। उन्होंने नीचे उतर कर सोसायटी के चपरासी से कहा कि लगता है मेरा हार्ट अटैक हुआ है, मुझे किसी तरह की मदद करो। तब उसने 100 नम्बर पर फोन करके पुलिस वैन को इन्फॉर्म किया। पुलिस वैन आयी, उनको उठा कर बाबू जगजीवन राम अस्पताल दो बजे रात में ले गयी और उनको लावारिस लाश घोषित कर के वहां की mortuary में रख दिया। जब हम सुबह सात बजे वहां गये, तो वहां कोई पुलिस वाला नहीं था। मैंने अस्पताल के कर्मचारियों से कहा कि मैं पार्लियामेंट का मेम्बर हूं, हमारी पार्टी के एक नेता की मृत्यु हो गई है, उनकी लाश को देखने की मुझे अनुमति दी जाए। बहुत कहने पर उसने मुर्दा घर को खोला, जिसमें बीसों लावारिस लाशें पड़ी थीं और उसमें से बदबू आ रही थी। उसने स्ट्रेचर पर उस लाश को निकाला। मेरे पहुंचने के आधे घंटे बाद वहां उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव जी पहुंचे। हम लोग बार-बार मांग करते रहे कि हम लोग इस लाश के वारिस हैं, इसलिए इसे हमें दे दिया जाए, लेकिन अस्पताल के लोगों ने कहा कि पुलिस इस लाश को लायी है, बिना पुलिस की अनुमति के हम इस लाश को देने वाले नहीं हैं। हम लोग वहां चबूतरे पर एक घंटा बैठे रहे, लेकिन कोई पुलिस वाला वहां नजर नहीं आया। फिर जब हमने थाने पर कुछ कार्यकर्ताओं को भेजा, तो कहा गया कि जब 11 बजे ए.सी.पी. आएंगे, तब हम लोग वहां पर आएंगे। बहुत झगड़ा करने पर ए.सी.पी. ने साढ़े 11 बजे आकर वह लाश mortuary से निकाली और हमारे लोगों को दी, जो यहां अस्पताल में लाकर रखी गयी।

मुझे इस बात पर बहुत अफसोस है कि संसद सदस्य के जीवित रहते हुए उनका सम्मान नहीं होता और मरने के बाद और भी नहीं होता, इससे बड़ी पुलिस की निष्ठुरता और संवेदनहीनता क्या हो सकती है? इसलिए हम आपके ज़रिए सरकार से मांग करना चाहते हैं कि इस मामले की जांच करायी जाए और इस पर सरकार ने क्या कार्रवाई की, उससे इस सदन को और हमको अवगत कारया जाए। यह मैं आग्रह करना चाहता हूं।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): All are associating. (*Interruptions*) The whole House associates. (*Interruptions*) The Minister wants to respond. (*Interruptions*)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला): उपसभाध्यक्ष जी, जैसा कि सम्माननीय मोहन सिंह जी ने मुद्दा उठाया है, मेरे लिहाज से यह बहुत गम्भीर मामला है। किसी भी संसद सदस्य के साथ यह स्थिति नहीं आनी चाहिए। इन्होंने इस बात को हम लोगों की नोटिस में लाया है और इस बात को पूरे सदन ने समझा है। हम इसे पूरी गम्भीरता से लेते हैं। हम न केवल गृह मंत्री जी को इससे अवगत कराएंगे और इसकी जांच की बात कहेंगे, बल्कि जो लोग इसमें दोषी होंगे, उन पर कड़ी कार्यवाही हो, इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे।

श्री बलबीर पुंज (ओडिशा): सर, यह मामला प्रिविलेज कमिटी में भेजा जाना चाहिए ...***(व्यवधान)***..

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): The Minister has responded. (*Interruptions*)

SHRI SITARAM YECHURY (West Bengal): While the Government will do its job, let the matter be referred to the Privileges Committee. As the Chair you have the right to do that. You please refer it to the Privileges Committee.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): That will be examined. ...(*Interruptions*)...

Need to lift ban on export of Cotton

SHRI M. VENKAIAH NAIDU (Karnataka): Mr Vice-Chairman, Sir, I rise to bring it to the notice of the hon. House about the serious situation that has arisen on account of the ambiguity with regard to lifting of the ban on the cotton export. Sir, cotton prices have fallen down drastically across the country. The farmers are agitated. They are not getting remunerative prices, and the Cotton Corporation of India is not purchasing at the minimum support price announced by the Government. Even with regard to exports, on 5th March, the Government of India, even without consulting anybody, unilaterally has imposed a ban on the export of cotton thereby the prices have gone down considerably. After the agitation by the farmers when the matter was raised here in Parliament, the hon. Minister has assured us that he would lift the ban. On 5th March ban was imposed and on 12th March ban was lifted. But unfortunately certain conditions were levied because of the